दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2207 / 22
शासन वि० रमेश देवांगन

Witness No- **01** for **अभियोजन** Deposition taken on the **06.11.2023** day of **Monday** Witness's apparent age age 34 year

States on affirmation **शपथपूर्वक** My name is **हेमलाल शर्मा**

Son/Husband of **श्री मनहरण शर्मा** Occupation **पेंटिंग**

Address, **हटकेशर धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)**

समय 01.25 बजे से

साक्षी को शपथ दिलाकर साक्ष्य प्रारंभ किया गया।

—: अभियोजन द्वारा मुख्य परीक्षण :—

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी रमेश देवांगन को नहीं पहचानता हूं। आज से लगभग 8–9 माह पूर्व की बात है, मैं मेरे दोस्त के साथ किसी काम से थाना सिटी कोतवाली धमतरी गया था, वहीं पर पुलिस वाले नहीं होगा कहकर कोरे कागजो पर हस्ताक्षर करा लिये थे। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया था। किन्तु द.प्र.सं. की धारा 160 का नोटिस प्रपी–01, मुखबिर पंचनामा प्रपी–02, जप्ती पत्रक प्रपी–03, गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–04 के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

टीपः– इसी स्तर पर अभियोजन साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा सूचक जैसे प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचारोपरांत अनुमति प्रदान की गई।

02. यह कहना गलत है कि प्रपी–05 पुलिस बयान ''आज दिनांक 18.12.2021 ....हम दोनो हस्ताक्षर किये है'', के अ से अ भाग का कथन किया था। यह कहना

गलत है कि पुलिस ने कार्यवाही में भाग लेने के लिए मुखबिर पंचनामा, द.प्रं.स. की धारा 160 की नोटिस दिये थे। यह कहना गलत है कि मेरे एवं बिजेश गिरी गोस्वामी के समक्ष प्रपी–03 में उल्लेखित एक लाल पीला रंग के थैला में रखा 11 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल. यूपी लिखा सीलबंद प्रत्येक पौवा की कीमत 80 रूपये, जुमला कीमती 880/– रूपये, शराब बिक्री रकम 160/– रूपये, कुल जुमला 1040/– रूपये को आरोपी से जप्त किया गया था।

03. यह कहना गलत है कि मेरे एवं ब्रिजेश गिरी के समक्ष आरोपी को गिरफतार किया था। मैं कक्षा 9वीं तक पढ़ा हूं किसी भी दस्तावेजो में हस्ताक्षर करने के पूर्व पढ़कर देखता हूं। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले ने उपरोक्त दस्तावेजो को पढ़कर सुनाया था। यह कहना गलत है कि आज मैं आरोपी को बचाने के लिए न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूं।

–: प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी.एल. सिन्हा अधिवक्ता वास्ते आरोपी :–

04. यह कहना सही है कि मैने पुलिस वाले के कहने पर थाना में हस्ताक्षर किया था। जिन कागजातो पर हस्ताक्षर किया था वह कोरे थे, उसमें कुछ नहीं लिखा था।

परीक्षण समाप्त 01.40 बजे तक

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

शिवेन्द्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–

शिवेन्द्र कुमार टेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी, (छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर